मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ सी-3-1/94/3/एक भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—शासकीय विभागों में ढिलाई तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये मापदण्ड।

संदर्भः—इस विभाग के निम्नलिखित ज्ञापनः—

(1) 35/2167/1/3/82, दिनांक 18-1-83,

(2) एफ क्र. सी-3-19/83/3/1, दिनांक 22-7-83,

(3) एफ क्र. सी-3-10/84/3/1, दिनांक 26-3-84,

(4) एफ क्र. सी-3-24/84/3/1, दिनांक 20-7-84.

इस विभाग के उल्लिखित ज्ञापनों द्वारा अक्षम एवं कार्यक्षमता का अपेक्षित स्तर कायम न रखने वाले शासकीय सेवकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए छानबीन समितियों के गठन एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु मापदण्डों के पुनर्निधारण से संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में, समय-समय पर, इस विभाग द्वारा समस्त विभागों को स्मरण भी कराया जाता रहा है। (कृपया सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-3-43/90/3/1, दिनांक 10-1-91 एवं क्र. सी-3-12/93/3/1, दिनांक 27-3-93 देखें)।

2. संदर्भ क्रमांक 1 के पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, छानबीन समितियों को छानबीन करने का कार्य प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में पूरा कर, प्रतिवेदन संबंधित विभाग के सचिव को 20 जनवरी तक प्रस्तुत कर देना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया था कि संबंधित विभागीय सचिवों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्राप्त प्रतिवेदनों का शीघ्र परीक्षण करने के बाद, सेवानिवृत्त करने के मामलों में 31 जनवरी तक समन्वय में आदेश प्राप्त करें।

3. यह देखने में आ रहा है कि विभागों द्वारा शासन के उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अक्षम, अयोग्य तथा भ्रष्ट शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावकारी कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

4. अतः सभी विभागों के प्रमुख सचिवों/ सचिवों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपर्युक्त निर्देशों का पालन अत्यन्त कड़ाई के साथ दिनांक 31-1-94 तक सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से सामान्य प्रशासन विभाग (3) को सूचित करें। इन निर्देशों के पालन कराने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से समस्त विभागों के प्रमुख सचिव तथा सचिव गण की होगी।

हस्ता/-
(एन. एस. सेठी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.